

**लोक सभा**  
**तारांकित प्रश्न संख्या: \*394**  
**जिसका उत्तर बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को दिया जाएगा**

**ऑनलाइन विधिक मापविज्ञान सेवाएँ**

**\*394. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**

**श्री गोडम नागेश:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या सरकार ने देश में पंजीकरण, लाइसेंस और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विधिक मापविज्ञान सेवाओं हेतु एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पोर्टलों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता सहित उनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं;
- (ग) क्या इस डिजिटल परिवर्तन से विशेषकर जलगाँव (महाराष्ट्र) जैसे जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यापारियों के लिए विधिक मापविज्ञान कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार हुआ है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) ऑनलाइन विधिक मापविज्ञान सेवाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् इससे महाराष्ट्र के कितने हितधारक लाभान्वित हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या कुछ उत्पादों पर क्यूआर कोड की अनुमति देने के लिए विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में हाल ही में संशोधन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं दोनों को इस कदम से क्या अपेक्षित लाभ होंगे?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री**  
**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘ऑनलाइन विधिक मापविज्ञान सेवाएँ’ के संबंध में दिनांक 20.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*394 के उत्तर के भाग (क) से (ड) में उल्लिखित विवरण**

सरकार ने पूरे भारत में सभी विधिक मापविज्ञान सेवाओं के लिए एक एकीकृत और डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (ईमाप)** विकसित किया है। इससे पहले, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाट और माप की लाइसेंसिंग, सत्यापन तथा स्टैम्पिंग एवं पैकबंद वस्तुओं के विनिर्माताओं, पैकर्स और आयातकों के पंजीकरण के लिए अलग-अलग पोर्टल थे, जिसके कारण प्रक्रियाएं बाधित और असंगत थीं। ईमाप पोर्टल इन सेवाओं को एक एकल राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत करता है, जिससे दोहराव समाप्त होता है, एकरूपता सुनिश्चित होती है तथा व्यवसायों, उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए अनुपालन सुव्यवस्थित होता है।

यह पोर्टल सभी विधिक मापविज्ञान सेवाओं के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यवसायों को एकल साइन-ऑन तंत्र के माध्यम से ऑनलाइन अनुमोदन, लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह विनियामक अनुमोदन के लिए कागज रहित, फेसलेस और निर्बाध प्रणाली प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता में सुधार होता है, व्यापार करने में सुगमता होती है और अनुपालन बोझ कम होता है। उपभोक्ता मॉडल अनुमोदन और अन्य प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता को भी सत्यापित कर सकते हैं, जिससे बाट और माप उपकरणों की सटीकता और न्यायिक अनुपालन सुनिश्चित होता है, जिससे व्यापार प्रथाओं में विश्वास बढ़ता है। वास्तविक समय डैशबोर्ड, एकीकरण के लिए एपीआई, कुछ राज्यों में बहुभाषी विकल्प और विस्तृत उपयोगकर्ता मार्गदर्शिकाएं उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाती हैं।

**राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर 2024** को इसके शुभारंभ के बाद से, पोर्टल पर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जुड़ गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, जो इसे अपनाने वाले पहले राज्यों में से एक था। एकीकृत प्रणाली में बदलाव से जलगांव जैसे दूरदराज के जिलों में एमएसएमई और व्यापारियों सहित हितधारकों को काफी लाभ हुआ है, क्योंकि इससे भौतिक दौरे की आवश्यकता कम हो गई है, आवेदन प्रक्रिया में तेजी आई है, अनुपालन लागत कम हुई है और राज्यों में एक समान प्रक्रियाएं सुनिश्चित हुई हैं।

सरकार ने **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों** पर कुछ घोषणाओं के लिए क्यूआर कोड के उपयोग की अनुमति देने के लिए **विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011** में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत, पैकेजों पर विनिर्माता का नाम, टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता जैसी आवश्यक जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए, जबकि अन्य विवरण जैसे पूरा पता, उत्पाद विनिर्देश, आकार आदि क्यूआर कोड के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण पैकेजिंग की अस्तव्यस्तता को कम करता है, विनिर्माताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाता है, डिजिटल लेबलिंग को बढ़ावा देता है, और उपभोक्ताओं को पूर्ण, सटीक और अद्यतन उत्पाद जानकारी तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है, जिससे व्यापार में आसानी और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों में योगदान मिलता है।

\*\*\*\*\*